"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 28-अ] रायपुर, सोमवार, दिनांक 17 फरवरी 2003—माघ 28, शक 1924

वित्त एवं योजना विभाग

(वाणिज्यिक कर विभाग)

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 फरवरी 2003

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-12/2003/वा. कर (पं.)/पांच (11).—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का सं. 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा पिछड़े वर्ग के किसी सदस्य द्वारा प्रतिज्ञान किए गए शपथ-पत्र पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से 1 अप्रैल 2003 से पूर्णतः छूट प्रदान करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 17 फरवरी 2003

क्रमांक एफ-10-12/2003/वा.कर (पं.)/पांच (11).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-12/2003/वा.कर (पं.)/पांच (11)), दिनांक 17-2-2003 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur, the 17th February 2003

NOTIFICATION

No. F-10-12/2003/CT (R.)/V (11).— In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. II of 1899) the State Government hereby remits the stamp duty chargeable on an affidavit affirmed by a member of backward classes, with effect from 1st April 2003.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Deputy Secretary.

''बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.''

पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002.''

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 54] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 20 मार्च 2003—फाल्गुन 29, शक 1924

वित्त तथा योजना विभाग
[वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग]
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 मार्च 2003

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/19/2002/वा. क. (पं.)/पांच (13).—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का संख्यांक 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/19/2002/वा. क. (पं.)/पांच (30), दिनांक 27 मार्च, 2002 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

(1) उक्त अधिसूचना में, शब्द ''गैर सरकारी संगठन या'' के पश्चात् शब्द ''निजी भूमि स्वामी'' अंतःस्थापित किया जाये.

(2) उक्त अधिसूचना में, वर्तमान ''स्पष्टीकरण'' के स्थान पर निम्नांकित ''स्पष्टीकरण'' प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

स्पष्टीकरण :-

(i) इस प्रयोजन के लिये ''नये उद्योग'' से तात्पर्य ऐसी लघु उद्योग इकाईयों से है जिनमें रुपए 1 करोड़ तक का पूंजीनिवेश हो, और 1-11-2001 को या उसके पश्चात् उत्पादन प्रारम्भ हो गया हो, तथा स्टाम्प ड्यूटी से भुगतान की छूट के संबंध में उद्योग आयुक्त या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसा प्रमाणित किया जाये.

(ii) ऐसे विलेखों जिनमें, संबंधित पक्षकारों द्वारा इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि के पूर्व स्टाम्प ड्यूटी चुका दी गई हो, उनमें स्टाम्प शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त नहीं होगी.

(iii) उक्त अधिसूचना दिनांक 1-11-2001 से प्रभावशील मानी जावेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 20 मार्च 2003

क्रमांक एफ-10/19/2002/वा. क. (पं.)/पांच (13).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/19/2002/वा. क. (पं.)/पांच (13), दिनांक 20-3-2003 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur, the 20th March 2003

NOTIFICATION

No. F-10/19/2002/CT (R)/V/(13).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 9 of Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899), the State Government hereby makes the following further amendment in this department's notification No. F-10/19/2002/CT (R)/V/(30), Dated 27-3-2002, namely :-

AMENDMENT

(1) In the said notification, after the words "any semi-government organisation or" the words "private land owner" shall be inserted.

(2) In the said notification, existing explanation shall be substituted by the following explanation, namely :-

Explanation :-

(i) For this purpose "New Industries" means such small industrial units which have capital investment upto Rs. 1 crore, and gone into production on or after 1-11-2001 and such is certified by the Commissioner, Industries or officer authorised by him for exemption from the payment of stamp duty.

(ii) No exemption from the payment of stamp duty shall be granted on such documents wherein concerning party has paid the stamp duty prior to the date of publication of this notification in the Gazette.

(iii) The said notification shall deemed to have come into force with effect from 1-11-2001.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2003.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 145] रायपुर, शनिवार, दिनांक 7 जून 2003—ज्येष्ठ 17, शक 1925

वित्त तथा योजना विभाग

[वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग]

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 जून 2003

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/19/2002/वा.क.(पं.)/पांच (55).—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का संख्यांक 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/19/2002/वा.क.(पं.)/पांच (32), दिनांक 27 मार्च, 2002 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

1. उक्त अधिसूचना में अंक एवं शब्द "(14) फिल्म सिटी एवं स्थानीय सिनेमा को प्रोत्साहित करने के लिए मनोरंजन के क्षेत्र में बहुआयामी काम्पलेक्स के निर्माण पर आधारित उद्योग" के पश्चात् शब्द "एवं अन्य सभी नई लघु औद्योगिक इकाईयों" अन्तःस्थापित किये जाए.

2. उक्त अधिसूचना में वर्तमान "स्पष्टीकरण" के स्थान पर निम्नांकित "स्पष्टीकरण" प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

स्पष्टीकरण :—

इस प्रयोजन के लिए "लघु औद्योगिक इकाईयों" से तात्पर्य ऐसी औद्योगिक इकाईयों से है, जिनमें रुपये एक करोड़ तक का पूंजी निवेश किया गया हो, एवं दिनांक 1-11-2001 के बाद उत्पादन प्रारंभ किया गया हो. इसके आधार पर संबंधित इकाई को स्टाम्प ड्यूटी के भुगतान से छूट के संबंध में उद्योग आयुक्त अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र दिया जायेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 7 जून 2003

क्रमांक एफ-10/19/2002/वा.क. (पं.)/पांच (55).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/19/2002/वा.क. (पं) /पांच (55), दिनांक 7-6-2003 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur, the 7th June 2003

NOTIFICATION

No. F-10/19/2002/CT (R)/V (55).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 9 of Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899), the State Government hereby makes the following further amendment in this department's notification No. F-10/19/2002/CT (R)/V (32), dated 27-3-2002, namely :—

AMENDMENT

1. In the said notification, after the figures and words "(14) film city and multiplexes in entertainment sector primarily to promote regional cinema" the words "and all other new small scale industries" shall be inserted.

2. In the said notification, existing explanation shall be substituted by the following explanation, namely—

Explanation :—

For this purpose "Small Scale Industries" means such industrial units, which have capital investment up to Rupees one crore, and started production after 1-11-2001. On the basis of this, Commissioner, Industries or an officer authorised by him shall issue a certificate for the exemption from payment of stamp duty to concerning unit.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Deputy Secretary.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 183] रायपुर, बुधवार, दिनांक 23 जुलाई 2003- श्रावण 1, शक 1925

वित्त तथा योजना विभाग

[वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग]

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 जुलाई 2003

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/55/2003/वा. क. (पं.)/पांच (66).—राज्य शासन, भारतीय स्टॉम्प अधिनियम, 1899 (1899 का संख्यांक 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, एतद्द्वारा नई लघु औद्योगिक इकाईयों को उद्योग स्थापित करने के लिये बैंक/वित्तीय संस्थाओं से ऋण/अग्रिम प्राप्त करने के संबंध में निष्पादित विलेखों पर, उक्त अधिनियम की अनुसूची-1 क के अनुच्छेद (6) के तहत, उद्योग विभाग द्वारा किये गये स्थायी पंजीयन के दिनांक से 3 वर्ष की अवधि तक के लिये, प्रभार्य स्टॉम्प शुल्क से छूट प्रदान करती है एवं इस प्रयोजन हेतु लघु औद्योगिक इकाईयों (ऐसी औद्योगिक इकाईयां, जिनमें 1 करोड़ रुपये तक का पूंजी निवेश किया गया हो) को उद्योग आयुक्त अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र मान्य किया जाएगा.

2. यह अधिसूचना दिनांक 1 अगस्त, 2003 से प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 23 जुलाई 2003

क्रमांक एफ-10/55/2003/वा. क. (प.)/पांच (68).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/55/2003/वा. क. (पं.)/पांच (68), दिनांक 23-7-2003 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur, the 23rd July 2003

NOTIFICATION

No. F-10/55/2003/C. T. (R)/V (68).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Sub-section (1) of Section 9 of Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899), the State Government hereby exempts stamp duty on instruments chargeable under article 6 of schedule 1-A of said Act, executed by new small scale industrial units for obtaining loan/advance from banks/financing institutions for the purpose of establishing industry for a period of three years from the date of their permanent registration with the Industries Department and for this purpose certificate issued to small scale industry (such industrial units which have capital investment upto Rs. 1 Crore) by Commissioner, Industries or an officer authorised by him shall be accepted.

2. This notification shall come into force with effect from 1st August, 2003.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 23 जुलाई 2003

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/56/2003/वा. क. (पं.)/पांच (69).—भारतीय स्टॉम्प अधिनियम, 1899 (1899 का संख्यांक 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-6-6 वा. क.-पांच-90, दिनांक 29-12-1990 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

अधिनियम की अनुसूची 1-क के अनुच्छेद 6 (2) (क) में उपदर्शित हक विलेखों के निक्षेप, पण्यम या गिरवी से संबंधित करार विलेखों पर प्रभार्य स्टॉम्प शुल्क निम्नानुसार कम करती है, अर्थात् :-

''अधिकतम पचास हजार रूपये के अध्यधीन रहते हुए ऐसे विलेख द्वारा प्रतिभूत रकम का 0.5 प्रतिशत.''

2. यह अधिसूचना दिनांक 1 अगस्त, 2003 से प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 23 जुलाई 2003

क्रमांक एफ-10/56/2003/वा. क. (पं.)/पांच (69).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/55/2003/वा. क. (पं.)/पांच (69), दिनांक 23-7-2003 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur, the 23rd July 2003

NOTIFICATION

No. F-10/56/2003/C. T. (R)/V (69).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Sub-section (1) of Section 9 of Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899), the State Government hereby makes the following further amendment in this department's notification No. B-6-V-S-T-90, dated 29-12-1990.

AMENDMENT

On agreements relating to deposit of title deeds, pawn and pledge, reduces the stamp duty chargeable under Artical 6 (2) (A) of schedule 1-A as follows :-

"0.5 percent of the amount secured by such deed, subject to a maximum of fifty thousand rupees."

2. This notification shall come into force with effect from 1st August, 2003.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Deputy Secretary.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 195] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 1 अगस्त 2003-श्रावण 10, शक 1925

वित्त तथा योजना विभाग

[वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग]

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 अगस्त 2003

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10/19/2002/वा. कर (पं.)/पांच (72).—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का संख्यांक 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10/19/2002/वा. कर (पं.)/पांच (55) दिनांक 7-6-2003 को निरस्त करती है, तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10/19/2002/वा. कर (पं.)/पांच (32) दिनांक 27 मार्च, 2002 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

1. उक्त अधिसूचना में, अंक एवं शब्द "(14) फिल्म सिटी एवं स्थानीय सिनेमा को प्रोत्साहित करने के लिये मनोरंजन के क्षेत्र में बहुआयामी काम्पलेक्स के निर्माण पर आधारित उद्योग" के पश्चात् शब्द "एवं अन्य सभी नई लघु औद्योगिक इकाईयों" अन्तःस्थापित किए जाए.

2. उक्त अधिसूचना में, वर्तमान ''स्पष्टीकरण'' के स्थान पर निम्नांकित ''स्पष्टीकरण'' प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

स्पष्टीकरण :- (1) इस प्रयोजन के लिये ''नये उद्योग'' से अभिप्रेत ऐसी औद्योगिक इकाई जिसमें 1 नवम्बर, 2001 के पूर्व उत्पादन न किया हो और स्टाम्प शुल्क के छूट के संबंध में लघु औद्योगिक इकाईयां वृहद तथा मध्यम उद्योगों के प्रकरणों में उद्योग आयुक्त अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र मान्य किया जाएगा. लघु औद्योगिक इकाईयों से तात्पर्य ऐसी औद्योगिक इकाईयों से है जिनमें रुपये एक करोड़ (मशीन एवं उपकरण सहित) तक का पूंजी निवेश किया गया हो.

(2) यह अधिसूचना 7 जून, 2003 से प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 1 अगस्त 2003

क्रमांक एफ 10/19/2002/वा. कर (पं.)/पांच (72).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10/19/2002/वा. कर (पं.)/पांच (72) दिनांक 1-8-2003 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur, the 1st August 2003

NOTIFICATION

No. F 10/19/2002/CT (R)/V (72).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Sub-Section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. II of 1899) the State Government hereby cancels the department's notification No. F-10/19/2002/C. T. (R)/V (55) dated 7-6-2003 and makes further amendments in the department's notification No. F 10/19/2002/C. T. (R)/V (32) dated 27th March 2002, namely :-

AMENDMENT

1. In the said notification, after the figures and words "(14) film-city and multiplexes in entertainment sector primarily to promote regional cinema" the words "and all other new small scale industries" shall be inserted.

2. In the said notification, existing explanation shall be substituted by the following explanation, namely :-

Explanation :- (1) For this purpose "New Industry" means an industrial unit which has not gone in to production before Ist November, 2001 and for the exemption from payment of Stamp-duty, so certified by the Commissioner, Industries, or an officer authorized by him in the cases of small scale industries, major/medium industries. "small-scale industries" means such industrial units, which have Capital investment up to Rupees one crore (includes plant and machinery).

(2) This notification shall come in to force from 7th June, 2003.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Deputy Secretary.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 206] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 14 अगस्त 2003—श्रावण 23, शक 1925

वित्त तथा योजना विभाग

[वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग]

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 अगस्त 2003

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/55/2003/वाक (पं)/पांच (75).—राज्य शासन इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/55/2003/वाक (पं)/पांच (68), दिनांक 23-7-2003 को एतद्द्वारा निरस्त करता है एवं उसके स्थान पर निम्नानुसार नई अधिसूचना जारी करता है :-

राज्य शासन, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का संख्यांक 2) की धारा-9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्द्वारा नई लघु औद्योगिक इकाईयों को उद्योग स्थापित करने के लिए बैंक/वित्तीय संस्थाओं से ऋण/अग्रिम प्राप्त करने के संबंध में निष्पादित विलेखों पर उक्त अधिनियम की अनुसूची-1 (क) के अनुच्छेद (6) के तहत, उद्योग विभाग द्वारा किये गये पंजीयन की तिथि से तीन वर्ष की अवधि तक के लिए, प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान करती है. इस प्रयोजन के लिए ऐसी लघु औद्योगिक इकाईयों, जिनमें प्लान्ट एवं मशीनरी पर रुपये एक करोड़ तक का पूंजी निवेश किया गया हो, को उद्योग आयुक्त अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र मान्य किया जायेगा.

2. यह अधिसूचना दिनांक 1 अगस्त, 2003 से प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 14 अगस्त 2003

क्रमांक एफ-10/55/2003/वाक (पं)/पांच (75).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/55/2003/वाक (पं)/पांच (75), दिनांक 14-8-2003 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur, the 14th August 2003

NOTIFICATION

No. F-10/55/2003/CT (R)/V (75).—The State Government, hereby rescinds this Department's notification No. F-10/55/2003/CT (R)/V(68), Dated 23-7-2003 and in place of it issues a new notification as under :-

In exercise of the powers conferred by clause (a) of Sub-section 9 of Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) the State Government hereby exempts stamps duty on instruments chargeable under article 6 of schedule-1 'A' of the said Act executed by new small scale industrial units for obtaining loan/advance from banks/financing institutions for purpose of establishing industry for a period of three years from the date of their registration with the Industries Department. For this purpose certificate issued by commissioner Industries or an officer authorized by him to such small scale industries, which have capital investment up to Rupees One Crore in plant and machinery, shall be accepted.

2. This notification shall come into force with effect from 1st August, 2003.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 14 अगस्त 2003

अधिसूचना

क्रमांक एफ–10/19/2002/वाक (पं)/पांच (76).—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का संख्यांक 2) की धारा–9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10/19/2002/वाक (पं)/पांच (72), दिनांक 1–8–2003 को निरस्त करता है एवं इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10/19/2002/वाक (पं)/पांच (32), दिनांक 27 मार्च, 2002 में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :-

संशोधन

1. उक्त अधिसूचना में अंक एवं शब्द ''(14) फिल्म सिटी एवं स्थानीय सिनेमा को प्रोत्साहित करने के लिए मनोरंजन के क्षेत्र में बहुआयामी काम्पलेक्स के निर्माण पर आधारित उद्योग'' के पश्चात् शब्द ''एवं अन्य सभी नई लघु औद्योगिक इकाईयों'' अंतःस्थापित किये जायें.

2. उक्त अधिसूचना में वतमान ''स्पष्टीकरण'' के स्थान पर निम्नांकित ''स्पष्टीकरण'' प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्–

''**स्पष्टीकरण**– स्टाम्प शुल्क में छूट के लिए उद्योग आयुक्त अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लघु औद्योगिक इकाईयों, वृहद तथा मध्यम उद्योगों को जारी किया प्रमाण–पत्र मान्य किया जायेगा. लघु औद्योगिक इकाई से तात्पर्य ऐसी औद्योगिक इकाई से है, जिसके द्वारा प्लान्ट एवं मशीनरी पर रुपये एक करोड़ तक का पूंजी निवेश किया गया हो एवं 1 नवम्बर, 2001 के पश्चात् उत्पादन प्रारंभ किया गया हो.''

3. यह अधिसूचना दिनांक 1 अगस्त, 2003 से प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप–सचिव.

रायपुर, दिनांक 14 अगस्त 2003

क्रमांक एफ–10/19/2002/वाक (पं)/पांच (76).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10/19/2002/वाक (पं)/पांच (76), दिनांक 14–8–2003 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप–सचिव.

Raipur, the 14th August 2003

NOTIFICATION

No. F-10/19/2002/CT (R)/V (76).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Sub-section 9 of Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) the State Government hereby rescinds this Department's notification No. F-10/19/2002/CT (R)/V/(72), Dated 1-8-2003 and makes further amendments in this department's notification No. F-10/19/2002/CT (R)/V/(32), dated 27th March, 2002, namely :-

AMENDMENT

1. In the said notification, after the figures and words "(14) film city and multiplexes in entertainment sector primarily to promote regional cinema" the words "and all other new small scale industries" shall be inserted.

2. In the said notification existing explanation shall be substituted by the following explanation, namely :-

"**Explanation** -For exemption of stamp duty a certificate, issued to small scale industries, major and minor industries by the Commissioner, Industries or an officer authorise by him, shall be accepted. Small scale industry means such industrial unit which have capital investments up to Rupees One Crore in plant and machinery and started production after 1st November, 2001."

3. This notification shall come into force with effect from 1st August, 2003.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Deputy Secretary.